न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर

बइजलास–रामजस बिश्नोई (आर.ए.एस.)

वाद घोषणा खातेदारी, बंटवाड़ा खेताय, रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 373/2016

वादी	प्रतिवादीगण
लिखमाराम पुत्र स्व. झुमरराम जाति जाट निवासी खरनाल तहसील मूण्डवा जिला नागौर, राजस्थान	1. देवाराम पुत्र स्व. बक्साराम जाति जाट निवासी खरनाल 2. रामनिवास पुत्र स्व. झुमरराम जाति जाट निवासी खरनाल 3. भंवरी पुत्री स्व. झुमरराम जाति जाट निवासी खरनाल हाल निवासी भाकरोद तहसील व जिला नागौर। 4. मीरां पुत्री झुमरराम जाति जाट निवासी खरनाल हाल निवासी शीलगांव तहसील मूण्डवा जिला नागौर। 5. भोलाराम पुत्र स्व. बक्साराम जाति जाट निवासी खरनाल 6. प्रेमसुख पुत्र स्व. बलदेवराम जातियान जाट निवासीगण खरनाल तहसील मूण्डवा जिला नागौर। 7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर।

वकील वादी
श्री प्रेमसुख फिड़ोदा

वकील प्रतिवादीगण
श्री श्यामकुमार व्यास
श्री मोतीलाल ईनाणियां

निर्णय

दिनांक :–**17.08.2021**

1– वादी ने दिनांक 06.12.2016 को निम्न वाद प्रस्तुत किया–

1. वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य रहे है जिनके पुश्तेनी बढेर के सहखातेदारी व सहकब्जे काश्त (को–टिनेन्सी) के खेताय हाल खसरा नं. 224 रकबा 20–09 बीघा, खसरा नं. 229 रकबा 7–01 बीघा, खसरा नं. 231 रकबा 14–16 बीघा, खसरा नं. 232 रकबा 19–02 बीघा, खसरा नं. 236 रकबा 20–19 बीघा, खसरा नं. 803 रकबा 22–02 बीघा, खसरा नं. 1170/404 रकबा 0–05 बीघा गे.मु. बाड़ा, खसरा नं. 436 रकबा 7–08 बीघा, खसरा नं. 1124/1 रकबा 9 बीघा, खसरा नं. 1125

सहायक कलक्टर (मु) नागौर

रकबा 6 बीघा, खसरा नं. 1172/404 रकबा 0–05 बीघा गैर मुमक़िन बाड़ा, खसरा नं. 196 रकबा 4–18 बीघा, खसरा नं. 356 रकबा 27–17 बीघा, खसरा नं. 556 रकबा 10–17 बीघा, खसरा नं. 557 रकबा 9 बीघा, खसरा नं. 955 रकबा 8–14 बीघा, खसरा नं. 1159/187 रकबा 11–17 बीघा, खसरा नं. 1176/404 रकबा 0–05 बीघा. गैर मुमकिन बाड़ा, खसरा नं. 1181/404 रकबा 0–05 बीघा गैर मुमकिन बाड़ा, खसरा नं. 956 रकबा 12–13 बीघा, खसरा नं. 957 रकबा 16–10 बीघा, खसरा नं. 968 रकबा 20–07 बीघा, खसरा नं. 969 रकबा 23–03 बीघा, खसरा नं. 970 रकबा 12–12 बीघा, खसरा नं. 971 रकबा 12–18 बीघा, खसरा नं. 1123 रकबा 11–05 बीघा, खसरा नं. 1178/404 रकबा 0–05 बीघा गैर मुमकिन बाड़ा, खसरा नं. 193 रकबा 0–12 बीघा, खसरा नं. 199 रकबा 9–09 बीघा, खसरा नं. 233 रकबा 13–07 बीघा, खसरा नं. 235 रकबा 14–17 बीघा, खसरा नं. 802 रकबा 5–16 बीघा, खसरा नं. 967 रकबा 8–18 बीघा, खसरा नं. 1180/404 रकबा 0–05 बीघा वाके सरहद मौजा खरनाल में रहते आये है। पक्षकारान का संजरा खानदान इस प्रकार है।

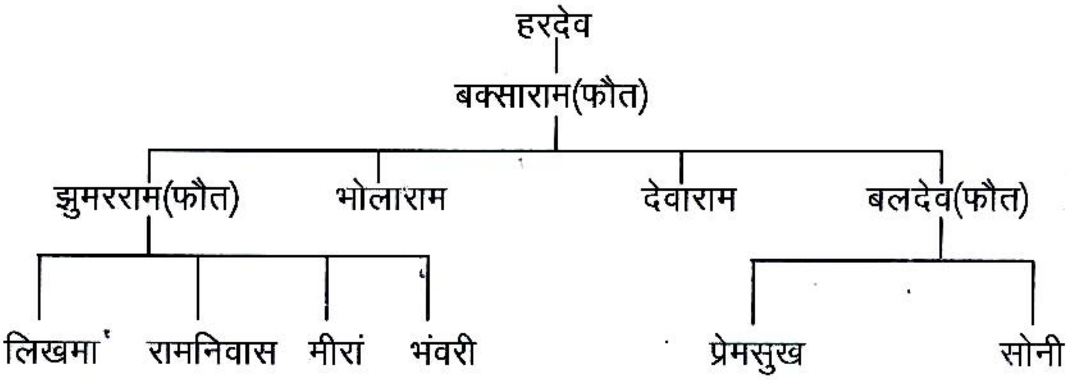

2. यह है कि, मुझ वादी के पिता स्व. झुमरराम जी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1, 5 एवं प्रतिवादीगण संख्या 6 के पिता स्व. बलदेवराम जी के बीच विक्रम संवत 2048 में रामनवमी के आसे पासे कर लिया था। उक्त बंटवाड़ा निम्न प्रकार से किया गया था–

क) कि खेत हाल खसरा नं. 224 रकबा 20–09 बीघा, खसरा नं. 229 रकबा 14–01 बीघा, खसरा नं. 803 रकबा 22–02 बीघा, खसरा नं. 193 रकबा 00–12 बीघा, खसरा नं. 199 रकबा 9–09 बीघा, खसरा नं. 802 रकबा 5–16 बीघा, खसरा नं. 1159/187 रकबा 11–17 बीघा, खसरा नं. 196 रकबा 4–18 बीघा, खसरा नं. 967 रकबा 8–18 बीघा, खसरा नं. 1170/404 रकबा 0–05 बीघा व खसरा नं. 1181/404 रकबा 0–05 बीघा गैर मुमकिन बाड़ा मुझ वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 पिता स्व. झुमरराम जी के बंट व कब्जे काश्त में रखे गये थे तथा स्व. झुमरराम जी के फौत हो जाने के बाद

सहायक कलक्टर (मु)
नागौर

मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 जो वादी के भाई व बहिने है संयुक्त रूप से हमारे कब्जे काश्त में रहे रही है।

ख) कि हाल खसरा नं. 956 रकबा 12–13 बीघा, खसरा नं. 236 रकबा 20–19 बीघा, खसरा नं. 356 रकबा 27–17 बीघा, खसरा नं. 436 रकबा 7–08 बीघा, खसरा नं. 1176/404 रकबा 0–05 बीघा गैर मुमकिन बाड़ा व खसरा नं. 1180/404 रकबा 0–05 बीघा गैर मुमकिन बाड़ा व खसरा नं. 955 कुल रकबा 8–14 बीघा में से 4 बीघा उतरादा हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 भोलाराम के बंट व कब्जे काश्त में रखे गये थे तथा उक्त खेताय पर बंटवाड़ा होने से आज तक प्रतिवादी संख्या 5 ही काबिज काश्तकार है।

ग) कि हाल खसरा नं. 231 रकबा 14–16 बीघा, खसरा नं. 232 रकबा 19–02 बीघा, खसरा नं. 233 रकबा 13–07 बीघा, खसरा नं. 235 रकबा 14–17 बीघा, खसरा नं. 557 रकबा 9–00 बीघा, खसरा नं. 556 रकबा 10–17 बीघा, खसरा नं. 1123 रकबा 11–05 बीघा, खसरा नं. 1178/404 रकबा 0–05 बीघा गैर मुमकिन बाड़ा खसरा नं. 955 कुल रकबा 8–14 बीघा में से 4–14 दक्षिणी भाग मौजा खरनाल प्रतिवादी संख्या 6 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 7 के पति के बंट व कब्जे काश्त में रखे गये थे। उपरोक्त रकबो पर वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 6 प्रेमसुख व प्रतिवादी संख्या 7 सोनी का कब्जा काश्त है।

घ) कि हाल खसरा नं. 969 रकबा 23–03 बीघा, खसरा नं. 970 रकबा 12–12 बीघा, खसरा नं. 957 रकबा 16–10 बीघा, खसरा नं. 968 रकबा 20–07 बीघा, खसरा नं. 971 रकबा 12–18 बीघा, खसरा नं. 1124/1 रकबा 9–00 बीघा, खसरा नं. 1125 रकबा 6–00 बीघा व खसरा नं. 1172/404 रकबा 0–05 बीघा गैर मुमकिन बाड़ा मौजा खरनाल प्रतिवादी संख्या 1 के बंट व कब्जे काश्त में रखे गये है।

3. यह है कि वादी के पिता एवं प्रतिवादीगण भोलाराम, देवाराम व प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 के पिता व पति आपस में सगे भाई थे उनके पूर्वजों से कुल रकबा 394–12 बीघा की, जिसका बंटवाड़ा हो जाने के बाद करीब–करीब बराबर–बराबर बंट किया गया है तथा हम पक्षकारों में से प्रतिवादी संख्या 5 भोलाराम द्वारा अपने बंट की भूमि रकबा 29–05 बीघा अन्य दुसरे लोगों को बेचान कर दी थी जिससे उनके बंट में बाकी भाई से कम रकबा बताया गया।

4. यह है कि स्व. बक्सारामजी के एक भाई और थे जिनका नाम मीमाराम था, हालांकि राजस्व रेकर्ड में उनका नाम इन्द्राज नहीं हुआ था और वो स्व. बक्सारामजी से कभी अलग भी नहीं हुऐ थे, उनके शामिल में ही रहा करते थे, नहीं उन्होने खेतो का बंटवाड़ा किया था। उनके स्वयं की कोई जायंदा औलाद नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 5 भोलाराम जी को वारिस केवल बहीभाट की पुस्तकों में ही बताया गया और इन्द्राज कराया गया था जिससे राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 5 की वल्दीयत बक्सारामजी के स्थान पर

सहायक कलक्टर (मु) नागौर

मीमारामजी दर्ज हो गयी थी। परन्तु हकीकत में कोई गोदनामा की रस्म अदायगी एवं गोद लेने देने की रस्म नहीं हुई थी जिससे प्रतिवादी संख्या 5 स्व. मीमारामजी का गोद पुत्र नहीं होकर बक्साराम जी का ही पुत्र है।

5. यह है कि, राजस्व रेकर्ड में मुझ वादी के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 5, प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 के पिता तथा प्रतिवादी संख्या 6 के पिता का नाम राजस्व कर्मचारियों से अपने मनमर्जी से अलग अलग दर्ज कर दिये थे अर्थात जमाबंदी में दर्ज नाम के अनुसार पक्षकारों के बीच बंटवाड़ा कतेई नहीं हुआ था जिससे दावा हाजा घोषणा, बंटवाड़ा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हो गया है।

6. यह है कि बिनायदावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण तब पैदा हुआ जब राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपनी मर्जी से हम पक्षकारों अर्थात मुझ वादी के पिता स्व. झुमरराम, प्रतिवादी संख्या 5 भोलाराम, प्रतिवादी संख्या 1 देवाराम व प्रतिवादी संख्या 6 के पिता बलदेवराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर देने से अब बंटवाड़ा संवत 2048 रामनवमी के आस पास हो जाने से व बंट माफिक अलग–अलग काबिज होने से वादहेतुक बमुकाम खरनाल तहसील मूण्डवा जिला नागौर में पैदा हुआ जो अन्दर मियाद व न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में है।

7. इस्तदुआ वादी है कि दावा हाजा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण, वाद के पैरा संख्या 2 के उप पैरा संख्या क, ख, ग, घ में वर्णित बंटवाड़ा स्कीम के अनुसार बंट कब्जा काश्त खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती की घोषणा करते हुऐ डिक्री किया जावे व वादी के कब्जे में दखल करने से प्रतिवादीगण को सदैव के लिंए रोका जावे तथा इसी माफिक सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी करावें। अन्य अनुतोष जो लाभार्थ वादी हो प्रदान करावें।

2— वकील वादी की ओर से दिनांक 22.07.2021 को एक आवेदन प्रतिवादी संख्या 7 सोनी का देहान्त होने एवं उसके विधिक उत्तराधिकारी पहले से ही प्रतिवादी संख्या 6 के रूपमें रेकर्ड में होने से प्रतिवादी संख्या 7 का नाम हटाने का पेश किया जिस पर वकील प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 7 सोनी का नाम रेकर्ड से हटाया जाता है।

3— वादी लिखमाराम व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 क्रमशः देवाराम, रामनिवास, भंवरी, मीरां, भोलाराम व प्रेमसुख की ओर से दिनांक 22.07.2021 को निम्नलिखित राजीनामा प्रस्तुत किया –

1. यह है कि हम पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर पूर्व में किये गये बंटवाड़ा में आंशिक संशोधन करते हुऐ निम्न अनुसार विवादित आराजी का बंटवाड़ा किया है–

सहायक कलक्टर (मु)
नागौर

क) कि खेत हाल खसरा नं. 224 रकबा 20—09 बीघा, खसरा नं. 229 रकबा 14—01 बीघा, खसरा नं. 803 रकबा 22—02 बीघा, खसरा नं. 193 रकबा 00—12 बीघा, खसरा नं. 199 रकबा 9—09 बीघा, खसरा नं. 802 रकबा 5—16 बीघा, खसरा नं. 1159/187 रकबा 11—17 बीघा, खसरा नं. 196 रकबा 4—18 बीघा, खसरा नं. 1170/404 रकबा 0—05 बीघा, खसरा नं. 231 रकबा 14—16 बीघा में से 5—05 बीघा पूर्वी तरफ का हिस्सा, खसरा नं. 236 रकबा 20—19 बीघा में से 3 बीघा उतरी हिस्सा व खसरा नं. 1181/404 रकबा 0—05 बीघा गैर मुमकिन बाड़ा मुझ वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 के पिता स्व. झुमरराम जी के बंट व कब्जे काश्त में रखे गये थे तथा स्व. झुमरराम जी के फौत हो जाने के बाद मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 जो वादी के भाई व बहिने है संयुक्त रूप से हमारे बंट कब्जे काश्त में रह रही है।

ख) कि हाल खसरा नं. 956 रकबा 12—13 बीघा, खसरा नं. 236 रकबा 20—19 बीघा में से 17—19 दक्षिणी हिस्सा, खसरा नं. 356 रकबा 27—17 बीघा, खसरा न. 436 रकबा 7—08 बीघा, खसरा ने. 1176/404 रकबा 0—05 बीघा गैर मुमकिन बाड़ा व खसरा नं. 1180/404 रकबा 0—05 बीघा गैर मुमकिन बाड़ा व खसरा नं. 955 रकबा 8—14 बीघा में से 1—10 बीघा पश्चिमी हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 भोलाराम के बंट व कब्जे काश्त में रखे गये थे तथा उक्त खेताय पर बंटवाड़ा होने से आज तक प्रतिवादी संख्या 5 ही काबिज काश्तकार है।

ग) कि हाल खसरा नं. 231 रकबा 14—16 बीघा में से 9—11 बीघा पश्चिमी हिस्सा, खसरा नं. 232 रकबा 19—02 बीघा, खसरा नं. 233 रकबा 13—07 बीघा, खसरा नं. 235 रकबा 14—17 बीघा, खसरा नं. 557 रकबा 9—00 बीघा, खसरा नं. 556 रकबा 10—17 बीघा, खसरा नं. 1178/404 रकबा 0—05 बीघा गैर मुमकिन बाड़ा, हाल खसरा नं. 969 रकबा 23—03 बीघा में से 15 बीघा दक्षिणी भाग मौजा खरनाल प्रतिवादी संख्या 6 प्रेमसुख के बंट व कब्जे काश्त में रखे गये थे।

घ) कि हाल खसरा नं. 969 रकबा 23—03 बीघा में से 8—03 बीघा उतरी, खसरा नं. 970 रकबा 12—12 बीघा, खसरा नं. 957 रकबा 16—10 बीघा, खसरा नं. 968 रकबा 20—07 बीघा, खसरा नं. 971 रकबा 12—18 बीघा, खसरा नं. 1124/1 रकबा 9—00 बीघा, खसरा नं. 1125 रकबा 6—00 बीघा व खसरा नं. 1172/404 रकबा 0—05 बीघा गैर मुमकिन बाड़ा, खसरा नं. 1123 रकबा 11—05 बीघा, खसरा नं. 967 रकबा 8—18 बीघा, खसरा नं. 955 रकबा 8—14 बीघा में से 7—04 बीघा पूर्वी तरफ का हिस्सा, मौजा खरनाल प्रतिवादी संख्या 1 के बंट व कब्जे काश्त में रखे गये है।

सहायक कलक्टर (मु)
नागौर

2. यह है कि इसी अनुसार पक्षकारान मौके पर काबिज है व इसी मुताबिक भौतिक विभाजन करवाना चाहते है।
3. यह है कि खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक कर माफिक राजीनामा वाद डिक्री किया जावें।

4 – वकील वादी ने दिनांक 11.08.2021 को आवेदन बाबत टंकन सुधार आदि अधीन धारा 151 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया है कि :–

1. खसरा नम्बर 229 रकबा 7–01 बीघा मौजा खरनाल वाद के पैरा संख्या 1 में सही अंकित किया था मगर टंकण भूल से वाद के पैरा संख्या 2 के उप पैरा संख्या (क) में खसरा 229 रकबा 7–01 बीघा के स्थान भूलवश रक़बा 14–01 बीघा लिख दिया गया है जो सही नहीं है।
2. यह है कि वाद के पैरा संख्या 2 के उप पैरा संख्या (क) बंटवाड़ा स्कीम में खसरा नम्बर 229 रकबा 14–01 बीघा के स्थान पर रकबा 7–01 बीघा का अंकन मानकर आगे की कार्यवाही कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

5 – वकील वादी द्वारा दिनांक 11.08.2021 आवेदन बाबत टंकन सुधार आदि अधीन धारा 151 सी.पी.सी. का वकील प्रतिवादी जवाब पेश नहीं करना चाहते है। अतः आवेदन स्वीकार कर वाद माफिक राजीनामा निम्नानुसार डिक्री किया जाता है:–

क) मौजा खरनाल के खसरा नं. 224 रकबा 20–09 बीघा, खसरा नं. 229 रकबा 07–01 बीघा, खसरा नं. 803 रकबा 22–02 बीघा, खसरा नं. 193 रकबा 00–12 बीघा, खसरा नं. 199 रकबा 9–09 बीघा, खसरा नं. 802 रकबा 5–16 बीघा, खसरा नं. 1159/187 रकबा 11–17 बीघा, खसरा नं. 196 रकबा 4–18 बीघा, खसरा नं. 1170/404 रकबा 0–05 बीघा, खसरा नं. 231 रकबा 14–16 बीघा में से 5–05 बीघा पूर्वी तरफ का हिस्सा, खसरा नं. 236 रकबा 20–19 बीघा में से 3 बीघा उतरी हिस्सा व खसरा नं. 1181/404 रकबा 0–05 बीघा गैर मुमकिन बाड़ा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 के संयुक्त रूप से बराबर–बराबर 1/4 हिस्सा बंट व कब्जे काश्त का घोषित किया जाता है।

ख) मौजा खरनाल के खसरा नं. 956 रकबा 12–13 बीघा, खसरा नं. 236 रकबा 20–19 बीघा में से 17–19 दक्षिणी हिस्सा, खसरा नं. 356 रकबा 27–17 बीघा, खसरा न. 436 रकबा 7–08 बीघा, खसरा ने. 1176/404 रकबा 0–05 बीघा गैर मुमकिन बाड़ा व खसरा नं. 1180/404 रकबा 0–05 बीघा गैर मुमकिन बाड़ा व खसरा नं. 955 रकबा 8–14 बीघा में से 1–10 बीघा पश्चिमी हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 भोलाराम के बंट व कब्जे काश्त का घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

ग) मौजा खरनाल के खसरा नं. 231, रकबा 14–16 बीघा में से 9–11 बीघा पश्चिमी हिस्सा, खसरा नं. 232 रकबा 19–02 बीघा, खसरा नं. 233 रकबा 13–07 बीघा, खसरा नं. 235 रकबा 14–17 बीघा, खसरा नं. 557 रकबा 9–00 बीघा, खसरा नं. 556 रकबा 10–17 बीघा, खसरा नं. 1178/404 रकबा 0–05 बीघा गैर मुमकिन बाड़ा, हाल खसरा नं. 969 रकबा 23–03 बीघा में से 15 बीघा दक्षिणी भाग प्रतिवादी संख्या 6 प्रेमसुख के बंट व कब्जे काश्त का घोषित किया जाता है।

घ) मौजा खरनाल के खसरा नं. 969 रकबा 23–03 बीघा में से 8–03 बीघा उतरी भाग खसरा नं. 970 रकबा 12–12 बीघा, खसरा नं. 957 रकबा 16–10 बीघा, खसरा नं. 968 रकबा 20–07 बीघा, खसरा नं. 971 रकबा 12–18 बीघा, खसरा नं. 1124/1 रकबा 9–00 बीघा, खसरा नं. 1125 रकबा 6–00 बीघा व खसरा नं. 1172/404 रकबा 0–05 बीघा गैर मुमकिन बाड़ा, खसरा नं. 1123 रकबा 11–05 बीघा, खसरा नं. 967 रकबा 8–18 बीघा, खसरा नं. 955 रकबा 8–14 बीघा में से 7–04 बीघा पूर्वी तरफ का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के बंट व कब्जे काश्त का घोषित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी होकर पालना हेतु तहसीलदार मूण्डवा को भेजा जावें।

आज दिनांक 17.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(रामजस बिश्नोई)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (मु.)
सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर